

संरक्षित बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021

मुख्य विशेषताएँ


प्रयोज्यता:

यह योजना किसी बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या a . द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू होगी सिस्टम पार्टिसिपेंट (भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाला व्यक्ति) जैसा कि योजना में परिभाषित किया गया है, या कोई अन्य कंपनी जैसा मई होना निर्दिष्ट से संरक्षित बैंक से समय प्रति समय; प्रति क्षेत्र नहीं छोड़ा गया नीचे योजना।

मैदान के लिये दाखिल एक शिकायत द्वारा ए ग्राहक:-	के अनुरक्षण नकरने के आधार शिकायत / नहीं शिकायत के लिये कमी में सर्विस करेगा लेट जाना नीचे योजना में मामलों शामिल:-
<p>समुन्नती फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") के किसी कार्य या चूक से पीड़ित कोई भी ग्राहक जिसके परिणामस्वरूप सेवा में कमी हुई है, वह योजना के तहत व्यक्तिगत रूप से या योजना में परिभाषित एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • व्यावसायिक निर्णय/व्यावसायिक फेसला काकंपनी; • ए विवाद के बीच एक वेंडर तथा कंपनीसंबंधित प्रति एक आउटसोर्सिंग अनुबंध; • ए शिकायत नहीं संबोधित प्रति लोकपालसीधे; • सामान्य शिकायतों के खिलाफ प्रबंधन याकार्यकारी अधिकारियों का कंपनी; • एक विवाद जिसमें कार्रवाई शुरू की जाती है कंपनी a . के आदेशों के अनुपालन में वैधानिक या कानून लागू करने प्राधिकरण; • ए सर्विस नहीं अंदर नियामक परिधि कारिजर्व बैंक; • कंपनी और अन्य के बीच विवाद विनियमित संस्थाएं; • कर्मचारी-नियोक्ता से जुड़ा विवाद रिश्ता का कंपनी। • शिकायत उसी के संबंध में नहीं है कारण का गतिविधि कौन सा है पहले से ही- <ul style="list-style-type: none"> ○ लंबित इससे पहले एक लोकपाल या बसे हुएया निपटा साथ पर गुण, द्वारा एक लोकपाल, या या नहीं प्राप्त किया उसी शिकायतकर्ता से या साथ में एक या अधिक शिकायतकर्ता, या एक या अधिकका द पार्टीज़ सम्बंधित; तथा ○ लंबित इससे पहले कोई कोर्ट, ट्रिब्यूनल या पंच या कोई अन्य मंच या प्राधिकरण; या, बसे हुए या निपटा साथ पर गुण, द्वारा कोई कोर्ट, ट्रिब्यूनल या पंच या कोई अन्य मंच या प्राधिकरण, या या नहीं प्राप्त किया से

	<p>एक ही शिकायतकर्ता या एक के साथ या अधिक का शिकायतकर्ता / पक्ष सम्बंधित।</p> <ul style="list-style-type: none"> • शिकायत है अपमानजनक या तुच्छ या अफ़सोसनाक में प्रकृति; • शिकायत प्रति कंपनी था बनाया गया बाद में समाप्ति का अवधि का परिसीमनलिमिटेशन एक्ट, 1963 के तहत निर्धारित, के लिएऐसा दावे; • शिकायतकर्ता पूर्ण प्रदान नहीं करता है के खंड 11 में निर्दिष्ट के रूप में जानकारी योजना; • शिकायत है नहीं दर्ज कराई द्वारा शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से या के माध्यम से एक अधिकार दिया गया प्रतिनिधि अन्य बजाय एक वकील (जब तक वकील है पीड़ितव्यक्ति)।
--	---

कैसे कर सकते हैं एक ग्राहक फ़ाइल शिकायत?



प्रक्रिया के लिये फाइलिंग एक शिकायत पर लोकपाल/केंद्रीकृत रसीद तथा प्रसंस्करण केंद्र: -

1. शिकायत मई होना दर्ज कराई ऑनलाइन के माध्यम से द्वार बनाया गया के लिये उद्देश्य (<https://cms.rbi.org.in>)।
2. शिकायत इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक मोड के माध्यम से केंद्रीकृत को भी प्रस्तुत की जा सकती है निम्नलिखित पते पर रसीद और प्रसंस्करण केंद्र। शिकायत, यदि भौतिक रूप में प्रस्तुत की जाती है प्रपत्र, करेगा होना विधिवत हस्ताक्षर किए द्वारा शिकायतकर्ता या द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि।
3. शिकायत को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक मोड में प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि में प्रदान किया गया है शिकायत प्रपत्र (अलग से अपलोड किया गया) और इसमें ऐसी जानकारी शामिल है जो द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है रिजर्व बैंक का भारत।

केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) का विवरण

केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी)
भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़-160017 ईमेल:-
crpc@rbi.org.in
टोल फ्री नंबर - 14448

1. कैसे लोकपाल लेना फेसला?

- कार्यवाही इससे पहले लोकपाल हैं सारांश में प्रकृति
- को बढ़ावा देता है समझौता के माध्यम से सुलह-> यदि नहीं पहुंच गए, कर सकते हैं मुद्दा पुरस्कार/आदेश

2. कर सकना एक ग्राहक फ़ाइल अपील करना इससे पहले अपीलीय प्राधिकरण, यदि नहीं संतुष्ट साथ फेसला कालोकपाल?

हाँ, लोकपाल फेसला है अपीलीय > अपीलीय प्राधिकरण: कार्यकारिणी निर्देशक प्रभारी रिज़र्व बैंक के विभाग के > अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपील की जाएगी पुरस्कार या अस्वीकृति का शिकायत।